मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल (म.प्र.)

ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, एक्सीलेंस कॉलेस के सामने कलियासोत डेम, भोपाल–462016
फोन/फैक्स : (0755) 2490322

विद्यार्थियों एवं अभिभावको हेतु आवश्यक सूचना

मध्यप्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवश्यक परीक्षण बिन्दु (चेक प्वाइंट्स)

छात्र–छात्राओं/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि मध्यप्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के पूर्व निम्नलिखित तथ्यों की पुष्टि कर लें कि –

1. विश्वविद्यालय राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 के अंतर्गत अधिसूचित है।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम (Statutes) एवं अध्यादेश (Ordinances) मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी राजपत्र में प्रकाशित हो चुके है। (अधिनियम के प्रावधान के अनुसार परिनियम एवं अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत ही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है)।
3. संबंधित संस्थान/अध्ययन शाला विश्वविद्यालय की ही एक संघटक इकाई/(Constituent Unit) हैं, एवं विश्वविद्यालय कैम्पस में ही संचालित है, (यह कोई संबद्ध (Affiliated) महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान/शोध संस्थान नहीं हें, क्योंकि निजी विश्वविद्यालय एकात्मक (unitary) स्वरुप के है एवं इन्हें महाविद्यालयों को संबद्ध करने (Affiliation) की अनुमति नहीं है।)
4. वह पाठ्यक्रम (डिग्री, डिप्लोमा आदि), जिसमें प्रवेश लिया जा रहा है, यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित है एवं राजपत्र में प्रकाशित अध्यादेशों में इस पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्यादेश (Ordinance) भी शामिल है।
5. जिस विषय में एम.फिल/पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा रहा है, उस विषय में संबंधित विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित होना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित निजी विश्वविद्यालय में संबंधित विषय में यू.जी.सी. के मानदण्डों के अनुरुप योग्यता प्राप्त शोध निदेशक स्थायी रुप से पदस्थ है। यह भी ध्यान रखें कि एक निदेशक के मार्गदर्शन में शोध हेतु पंजीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या आठ से अधिक नहीं हो सकती है।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा जनहित में जारी।

अध्यक्ष